2024: CGHC: 29094

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीएस संख्या 1079/2013

1. श्रीमती लता जयदेव पति जयदेव पिल्लई, आयु लगभग 40 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. नरेश दास पिता श्री करम दास, आयु लगभग 40 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, कोरबा, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

3. रामेश्वर प्रसाद पिता आर. प्रसाद, आयु लगभग 45 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, कोरबा, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

4. प्रकाश शंकर ओझा पिता श्री वी. डी. ओझा, आयु लगभग 38 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छाल ओ सी एम, पुलिस थाना छाल, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. के. के. सूर्यवंशी पिता श्री नारायण, आयु लगभग 28 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छाल इनक्लाइन रायगढ़, पुलिस थाना छाल, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

6. अनीश कुमार सिंह मोहन सिंह, आयु लगभग 38 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी, जी. एम. कार्यालय चिरमिरी, पुलिस थाना चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

7. अनिल दिघ्रस्कर पिता श्री के. डी. दिघ्रस्कर, आयु लगभग 42 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

8. विक्रमजीत सिंह पिता श्री आर. के. सिंह, आयु लगभग 26 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ , जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

9. अभिजीत चौधरी पिता श्री ए. के. चौधरी, आयु लगभग 26 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

10. सुमित कुमार खस्केल पिता श्री डी. पी. खस्केल, आयु लगभग 30 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड्स डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ , जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

11. मनोज कुमार केशरवानी पिता श्री ए. के. केशरवानी, आयु लगभग 26 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

12. रामकेश्वर प्रसाद साहू पिता श्री जानकी साहू, आयु लगभग 39 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ , जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

13. प्रकाश कुमार कुर्मी पिता श्री आर. एन. कुर्मी, आयु लगभग 43 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

14. अजय कुमार गुप्ता पिता श्री जी. पी. गुप्ता, आयु लगभग 43 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

15. घनश्याम सिंह पिता श्री आर. डी. रघु, आयु लगभग 33 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

16. भागवत प्रसाद पिता श्री बलराम प्रसाद, आयु लगभग 39 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

17. दीपक कुमार साहू पिता श्री एस. पी. साहू, आयु लगभग 32 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

18. नोहरिक लाल पिता श्री रामखिलावन लाल, आयु लगभग 32 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

19. राकेश तिवारी पिता आर. तिवारी, आयु लगभग 35 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

20. विजय कुमार द्विवेदी पिता श्री लुकराम द्विवेदी, आयु लगभग 28 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. कुणाल बांदी पिता श्री पी. डी. बांदी, आयु लगभग 22 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

22. मनोज सिंह पिता श्री मदन सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पुलिस थाना बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

23. ऋषिकेश पुरोहित पिता श्री अशोक कुमार, आयु लगभग 25 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पुलिस थाना बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिलाः बिलासपुर, छत्तीसगढ़

24. विनोद कुमार साहू पिता श्री दिली राम साहू, आयु लगभग 46 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

25. कृष्ण कुमार पटेल पिता श्री धुआ राम, आयु लगभग 31 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. देवाशीष भौमिक पिता श्री एस. के. भौमिक, आयु लगभग 38 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

27. अविनाश खरे पिता श्री डी. सी. खरे, आयु लगभग 31 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

28. राकेश सिंह पिता श्री एच. के. सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाः कोरबा, छत्तीसगढ़

29. सुरेश कुमार सोनी पिता श्री बंशी लाल, आयु लगभग 32 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना, गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

30. राम अनुग्रह पिता श्री आर. सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

31. प्रदीप देवांगन पिता श्री बी. बी. देवांगन, आयु लगभग 33 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपिका, पुलिस थाना दीपिका जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

32. अरुण कुमार पिता श्री विश्वनाथ, आयु लगभग 34 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

33. एस. के. चंद्र पिता श्री अयोध्या प्रसाद, आयु लगभग 40 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

34. सुनील कुमार पिता श्री अर्जुन सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

35. संत कश्यप पिता श्री आर. कश्यप, आयु लगभग 38 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना, गेवरा, पुलिस थाना गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिलाःकोरबा, छत्तीसगढ़

36. रोशन क्रिसमक्स पिता श्री के. एम. सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ , जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एस. ई. सी. एल. एस. ई. सी. एल. मुख्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. महाप्रबंधक, कार्मिक और प्रशासन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एस. ई. सी. एल., मुख्यालय सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिलाः बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. निदेशक मंडल, द्वारा कंपनी सचिव, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एस. ई. सी. एल. मुख्यालय, सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4. एस. अविनाश पिता श्री एस. वी. राजू, आयु लगभग 25 वर्ष, एच.आई.जी-4, प्रथम तल, चरण-I, गीतांजली सिटी, बहतरई रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

5. वीलेंद्र पांडे पिता श्री ओम प्रकाश पांडे, आयु लगभग 25 वर्ष, वसंत विहार कॉलोनी, एस. ई. सी. एल., बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

6. शशांक शुक्ला पिता अनिल कुमार शुक्ला, आयु लगभग 25 वर्ष, ए-144, वसंत विहार कॉलोनी, एस. ई. सी. एल., बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

7. अमरीश कुमार सिंह पिता मधु सुदन सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, ए-185, वसंत विहार कॉलोनी, एस. ई. सी. एल., बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

8. अजीत सिंह पिता श्री रविराज सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी पी/64, पिली दफई, कोटमा कोलियरी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, जिलाःअनूपपुर, मध्य प्रदेश

9. धर्मेंद्र प्रजापति, आयु लगभग 26 वर्ष, सी ए टी-I, जोहिला क्षेत्र, नौरोज़ाबाद कोलियरी, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश, जिलाःउमरिया *, मध्य प्रदेश

----- उत्तरवादीगण

एवं

डब्ल्यूपीएस सं. 992/2014

1. गोविंद प्रसाद पांडे पिताश्री एसएल पांडेय, आयु लगभग 46 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी और एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एरिया मुख्यालय जमुना कोटमा, अनूपपुर, पुलिस थाना जमुना कोटमा, जिला अनूपपुर, मप्र, मध्य प्रदेश

2. ए. के. ठाकुर पिता श्री आर. के. ठाकुर, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड "सी", एसईसीएल मुख्य कार्यालय, बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर

3. शैलेश श्रीवास्तव पिता श्री डीपी श्रीवास्तव, आयु लगभग 48 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

4. सुशील कुमार पांडे पिता प्रेम नारायण पांडे, आयु लगभग 47 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

5. सतीश कुमार राठौर पिता श्री एसआर राठौर, आयु लगभग 44 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

6. श्रीमती अनीता सिंह पति श्री प्रदीप सिंह, आयु लगभग 54 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग. जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

7. बाबूजी चरियन पिता श्री एमजे चरियन, आयु लगभग 38 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. शरद राजेश हेनरी पिता श्री एफ. हेनरी, आयु लगभग 44 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

9. राजेश दलाल पिता श्री ए. के. दलाल, आयु लगभग 41 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

10. राज कुमार कश्यप पिता श्री एएसकश्यप, आयु लगभग 49 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

11. संजय कुमार तल्हन पिता श्री जे. तल्हन, आयु लगभग 44 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

12. श्रीमती सरस्वती साधु पति श्री यूके साधु, आयु लगभग 45 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. शिवनंदन पिता श्री प्रदीप सिंह, आयु लगभग 54 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

14. श्रीमती रेणु शर्मा श्री एसके शर्मा, आयु लगभग 51 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

15. श्रीमती खिनिया मनवानी पिता श्री संजय मनवानी, आयु लगभग 40 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

16. श्रीमती अलका भालेराव श्री एएन भालेराव, आयु लगभग 57 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

17. श्रेयांस पटनायक श्री एके पटनायक, आयु लगभग 33 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

18. रेतलाल राजवाड़े पिता श्री आर रजवाड़े, आयु लगभग 47 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

19. प्रमोद कुमार सिंह पिता श्री एसपी सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

20. कृष्ण बिहारी तिवारी पिता श्री जगन्नाथ तिवारी, आयु लगभग 40 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

21. अनवर अली पिता श्री मो. मुस्तफा, आयु लगभग 42 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

22. श्रीमती पत्रलेखा सिन्हा रॉय पति श्री आरएस रॉय, आयु लगभग 53 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. विजय कुमार तिवारी पिता श्री केपी तिवारी, आयु लगभग 42 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

24. नवीन कुमार सैनी पिता श्री पीके सैनी, आयु लगभग 42 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड "सी", एसईसीएल विश्रामपुर, मुख्यालयःसरगुजा, जिला सरगुजा

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एस. ई. सी. एल. मुख्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, छ०ग०

2. महाप्रबंधक, कार्मिक और प्रशासन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसईसीएल मुख्यालय, सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. निदेशक मंडल, द्वारा कंपनी सचिव, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसईसीएल मुख्यालय, सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

4. एस. अविनाश पिता श्री एसवी राजू, आयु लगभग 25 वर्ष, एचआईजी-4, प्रथम तल, चरण-1, गीतांजली सिटी, बहतरी रोड, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

5. वीलेंद्र पांडे पिता श्री ओम प्रकाश पांडे, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी - वसंत विहार कॉलोनी, एस. सी. एल. पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

6. शशांक शुक्ला पिता अनिल कुमार शुक्ला, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी- ए-144, वसंत विहार कॉलोनी, एस. सी. एल., पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

7. अमरीश कुमार सिंह पिता मधु सुदन सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, ए-185, वसंत विहार कॉलोनी, एस. सी. एल., पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

8. अजीत सिंह पिता श्री रविराज सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी-पी/64, पिली दफाई, कोटमा कोलियरी, पुलिस थाना अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मप्र, जिलाःअनूपपुर, मध्य प्रदेश

9. धर्मेंद्र प्रजापति, आयु लगभग 26 वर्ष, कैट-1, जोहिला क्षेत्र, नौरोज़ाबाद कोलियरी, पुलिस थाना उमरिया, जिला उमरिया, मप्र, जिलाःउमरिया *, मध्य प्रदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----- उत्तरवादीगण

एवं

<u>डब्ल्यूपीएस सं. 1349/2013</u>

विनोद कुमार कौशिक पिता डीआर कौशिक, आयु लगभग 28 वर्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-डी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छाल क्षेत्र, पुलिस थाना छाल, जिला रायगढ़, छ. ग., छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा द चैयरमेन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, एस. सी. एल., एस. सी. एल. मुख्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छ. ग., छत्तीसगढ़

2. महाप्रबंधक, कार्मिक और प्रशासन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसईसीएल मुख्यालय, सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. निदेशक मंडल, द्वारा कंपनी सचिव, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसईसीएल मुख्यालय, सीपत रोड, पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ. ग., जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से ग्रहित)

याचिकाकर्तागण के लिए	:	श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता
संबंधित उत्तरवादीगण के लिए	:	डॉ. निर्मल शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री प्रिया मिश्रा और सुश्री पी. एस. निकिता, अधिवक्तागण
	:	श्री शैलेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता
	:	श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता सह सुश्री डायना बजरंग, अधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ता के लिए	:	श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता का संक्षिप्त विवरण रखने हेतु श्री सास्वत गुप्ता, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे</u>

<u>पीठ पर पारित आदेश</u>

<u>05.08.2024</u>

1. चूंकि इन रिट याचिकाओं में तथ्यों और कानून के समान प्रश्न अंतर्विष्ट हैं, इसलिए इन्हें एक साथ संबद्ध किया जाता है, एक साथ इनकी सुनवाई की जाती है और अंत में इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जाता है।

2. याचिकाकर्ताओं ने एस. ई. सी. एल. द्वारा निजी उत्तरवादीगण की पदोन्नति के लिए बनाई गई योजना दिनांक 15.02.2013 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जिसमें निजी उत्तरवादीगण को डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 992/2014 में आदेश दिनांक 26.10.2013 (अनुलग्नक पी/2) के अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर (तकनीकी और पर्यवेक्षी) ग्रेड "बी" के पद पर पदोन्नत किया गया था।

3. वर्तमान मामलों के तथ्य यह हैं कि प्रारंभ में, याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2012 में डेटा एंट्री ऑपरेटर (तकनीकी और पर्यवेक्षी) ग्रेड "ई" के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें ग्रेड "डी" और फिर ग्रेड "सी" के पद पर पदोन्नत किया गया था। अगले उच्च पद पर पदोन्नति के प्रतिफल हेतु तकनीकी और पर्यवेक्षी ग्रेड 'सी' से 'बी' के लिए 'वरिष्ठता-सह-योग्यता' था, जबकि ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' तक 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' थी। याचिकाकर्ता ग्रेड 'सी' से ग्रेड 'बी' में अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रबंधन की 504 वीं बैठक दिनांक 31.12.2012 में विभागीय उम्मीदवारों को सीधे तकनीकी और पर्यवेक्षी (टी एवं एस) ग्रेड 'बी' और तकनीकी और पर्यवेक्षी (टी एवं एस) ग्रेड 'सी' में स्नातक इंजीनियरिंग (बी. ई.)/डिप्लोमा की योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता की संवर्ग योजना में प्रदान किए गए पदोन्नति चैनल की उपेक्षा करके पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था। निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 15.02.2013 (अनुलग्नक पी/1) को निर्णय अनुमोदित किया गया था, उत्तरवादी अधिकारियों ने विभागीय उम्मीदवारों, जिन्हें राष्ट्रीय कोयला वेतन अनुबंध (एन. सी. डब्ल्यू. ए.) के अंतर्गत श्रेणी I में आश्रित के रूप में नियुक्त किया गया था, की पदोन्नति के लिए तथा खनन, सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग डिग्री/इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आधार पर भूविस्थापितों के नियोजन हेतु विभाग के विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी मंगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रबंधन द्वारा दिनांक 31.12.2012 को लिए गए निर्णय और इसके अनुमोदन दिनांक 15.02.2013 को डब्ल्यूपीएस संख्या 1079/2012 और अन्य संबद्ध मामले दाखिल करके चुनौती दी थी। डब्ल्यू. पी. एस. सं. 1079/2013 में दिनांक 31.07.2013 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उत्तरवादी अधिकारियों को डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड "सी" के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पदों की पूर्ति की सीमा तक अनुमोदन को लागू करने से रोक दिया गया था। बाद में, अंतरिम अनुतोष देने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था और योजना के अनुसरण में पदोन्नति/नियुक्ति के आदेश को आदेश दिनांक 11.11.2013 के अनुसार ग्रेड "बी" पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उस तारीख से पहले, उत्तरवादी अधिकारियों ने अपनी नीति को लागू कर दिया था और निजी उत्तरवादीगण को आदेश दिनांक 26.10.2013 के अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर (टी एवं एस) ग्रेड "बी" में पदोन्नत कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय और इन याचिकाओं को दायर करके पदोन्नति के आदेश को चुनौती दी है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तें कोयला खनन उद्योग के लिए केंद्रीय वेतन बोर्ड की अनुशंसाओं के अंतर्गत शासित होती हैं। उन्होंने आगे व्यक्त किया कि राष्ट्रीय कोयला वेतन अनुबंध (एन. सी. डब्ल्यू. ए.) के अंतर्गत शासित कोयला उद्योगों में कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा की अन्य शर्तें और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1947" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 18 की उप-धारा 3 के संदर्भ में अनुबंध औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि एन. सी. डब्ल्यू. ए. के अंतर्गत जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ई' से ग्रेड 'डी', ग्रेड 'डी' से ग्रेड 'सी', ग्रेड 'सी' से ग्रेड 'बी' और ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' के पद पर पदोन्नति के लिए बनाई गई संवर्ग योजना में तकनीकी और पर्यवेक्षी ग्रेड 'डी' से ग्रेड 'बी' और ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' में पदोन्नति के लिए 'वरिष्ठता-सह-योग्यता' न्यूनतम मानदंड है। यह भी तर्क दिया गया है कि एस. ई. सी. एल. के कर्मचारी, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर (टी एवं एस) ग्रेड के पद पर हैं, उन्हें अगले उच्च पद अर्थात ग्रेड "सी" में पदोन्नत किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एन. सी. डब्ल्यू. ए. में, इस चैनल में प्रवेश करने के लिए एक गैर-संवर्ग कर्मचारी को बढ़ावा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि निजी उत्तरवादीगण जिन्हें श्रेणी I दैनिक दर/अंशकालिक दर कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन जिनके पास इंजीनियरिंग में बी. ई. या डिप्लोमा की योग्यता है, उन्हें एन. सी. डब्ल्यू. ए. के आदेश की उपेक्षा करते हुए सीधे ग्रेड "बी" में पदोन्नत किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि निजी उत्तरवादीगण जो आश्रित नियुक्त या भू-विस्थापित हैं, उन्हें याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को पार करके या दरकिनार करके पदोन्नत किया गया है। यह कथन किया गया है कि निजी उत्तरवादीगण कभी भी पदोन्नति के लिए विचाराधीन नहीं थे, भले ही उनके नाम श्रेणीकरण सूची में उल्लिखित नहीं थे। यह आगे कथन किया गया है कि ऐसा निर्णय उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा केवल पांच व्यक्तियों को लाभ देने के लिए लिया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एक नीतिगत निर्णय एक वर्ग के लाभ के लिए लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उन्होंने यह भी कथन किया कि उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा किया गया वर्गीकरण वैध नहीं है और यह "सुग्राह्य अंतर" पर आधारित नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किए गए वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अनुमेय वर्गीकरण को दो शर्तों को पूरा करना चाहिएः -

> 1. वर्गीकरण एक सुग्राह्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या वस्तुओं को उन अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से पृथक करता है जिन्हें समूह से बाहर रखा गया है,
>
> 2. अंतर ईप्सित उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से संबंधित होना चाहिए।

6. उनकी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **बी. वी. शिवैया और अन्य बनाम के. अडंकल बाबू और अन्य, (1998) 6 एस. सी. सी. 720, भारत संघ बनाम अतुल शुक्ला, ए. आई. आर. 2015 एस. सी.**

1777, मोहन महतो बनाम सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और अन्य, (2007) 8 एस. सी. सी. 549 के प्रकरणों में पारित निर्णयों का और अविनाश सलोमन बनाम एस. ई. सी. एल. 2016 सीजीएलजे तथा श्रीमती आशा पांडे बनाम कोल इंडिया लिमिटेड 2016 (3) सी. जी. एल. जे. 98 के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अवलंब लिया।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री श्रीवास्तव द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निजी उत्तरवादीगण को आश्रित नियोजन प्रदान किया गया था या वे भूविस्थापित थे। उन्होंने आगे व्यक्त किया कि निजी उत्तरवादीगण के पास इंजीनियरिंग में बी. ई. और डिप्लोमा की उच्चतर योग्यता थी और उनकी पदोन्नति के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए, उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा उन्हें पदोन्नति का एक बार का लाभ देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कतिपय आवश्यकताओं के कारण कुछ भूविस्थापितों और आश्रितों को उनकी उच्च योग्यता को ध्यान में रखते हुए ग्रेड 'डी' से ग्रेड 'सी' और ग्रेड 'सी' से ग्रेड 'बी' में पदोन्नत किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि प्रबंधन द्वारा दिनांक 31.12.2012 को निर्णय लिया गया था और इसे दिनांक 15.02.2013 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके बीच संबंध है और इस तरह के वर्गीकरण के लिए सुग्राह्य अंतर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी और निजी उत्तरवादीगण की योग्यता को योजना दिनांक 15.02.2013 योजना के अनुसार विचारित किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वरिष्ठता की उपेक्षा करने की प्रबंधन की कोई मंशा नहीं थी और पूरी कवायद एन. सी. डब्ल्यू. ए. के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से पूरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई थी। उन्होंने कथन किया कि याचिकाएं निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तराखंड राज्य बनाम सुधीर बुडाकोटी और अन्य (2022) 13 एस. सी. सी. 256 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. पदोन्नति आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि शुरू में, उत्तरवादीगण संख्या 4 से 9 को दैनिक दर/अंशकालिक दर कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि उनके पास इंजीनियरिंग में बी. ई. और डिप्लोमा जैसी उच्चतर योग्यताएँ थीं। याचिकाकर्ताओं को डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड "ई" के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका अर्थ है कि नियमित पद पर प्रारंभिक नियुक्ति के समय, याचिकाकर्ताओं के पास उच्च योग्यता थी जो श्रेणी I के पद के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं को एनसीडब्ल्यूए में दी गई योजना के अनुसार तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद अगले उच्च पद ग्रेड "डी" में पदोन्नत किया गया था। एन. सी. डब्ल्यू. ए. में पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग के साथ एक उचित चैनल पर विचार किया गया है; विशेष रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस समूह के लिए। पदोन्नति के लिए चैनल दिखाने वाला चार्ट नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पदनाम/ग्रेड/फीडर पद	**अगला उच्चतर ग्रेड और पात्रता**
कनिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) टी एवं एस ग्रेड 'ई' कंपनी में 3 साल की सेवा के साथ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र रखने वाला कोई भी	कनिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'डी' डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड ई के

स्थायी कर्मचारी	रूप में 1 वर्ष पूरा होने पर
कनिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'डी'	डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'सी' कनिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'डी ' के रूप में 3 साल का अनुभव।
डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'सी'	वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'बी' डेटा एंट्री ऑपरेटर वाई एवं एस ग्रेड सी" के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'बी'	वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड I टी एवं एस ग्रेड 'ए' डेटा एंट्री ऑपरेटर टी एवं एस ग्रेड 'बी ' के रूप में 3 साल का अनुभव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ऊपर उल्लिखित चार्ट के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्रेड "ई" में नियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर (टी एवं एस) को 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेड "डी" में पदोन्नत किया जा सकता है। इसी तरह, ग्रेड "डी" के कर्मचारी को ग्रेड "सी" और ग्रेड "सी" से ग्रेड "बी" में पदोन्नत किया जा सकता है। उपरोक्त चार्ट में उल्लिखित अनुभव के लिए न्यूनतम मानदंड तीन वर्ष हैं। इस चार्ट के अनुसार, किसी अन्य चैनल से उच्च पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। जिन कर्मचारियों की भर्ती किसी अन्य स्रोत से की गई है, वे एन. सी. डब्ल्यू. ए. के अनुसार इस चैनल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से, डब्ल्यूपीएस संख्या 1079/2013 और डब्ल्यूपीएस संख्या 992/2014 में निजी उत्तरवादीगण संख्या 4 से 9 को शुरू में दैनिक दर वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके पास विभाग में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास कोई संवर्ग नहीं था जैसा कि उपरोक्त चार्ट में बताया गया है।

11. बी.ई./तकनीकी और पर्यवेक्षी ग्रेड 'बी' और ग्रेड 'सी' में डिप्लोमा रखने वाले विभागीय उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के लिए कृत्यिक संचालकों की एक बैठक में दिनांक 31.12.2012 को उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया था। कृत्यिक निदेशकों के प्रस्ताव को प्रबंधन द्वारा दिनांक 15.02.2013 को स्वीकृति दी गई थी। दस्तावेजों में यह कथन किया गया है कि इंजीनियरिंग में 10 पात्र बी.ई./डिप्लोमा जिन्होंने श्रेणी I और टी एवं एस ग्रेड "डी" में एक वर्ष की सेवा पूरी की थी और 14 योग्य डिप्लोमा धारक, जिन्होंने श्रेणी I में श्रेणी "सी" में एक वर्ष की सेवा पूरी की थी और मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी नियुक्ति से पहले नियमित रूप से 4 वर्ष की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया था, उन्हें एक बार की व्यवस्था के रूप में संबंधित संवर्ग में नियुक्ति के लिए माना जाएगा। प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय से दर्शित होता है कि यह लाभ 10 डिग्री धारकों और 14 डिप्लोमा धारकों को दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उत्तरवादी अधिकारियों या मंत्रालय या कोयला मंत्रालय द्वारा बनाए गए क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम के अभाव में, प्रबंधन उन उम्मीदवारों को पदोन्नत करने का निर्णय नहीं ले सकता है जो चैनल में नहीं थे। युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को संतुष्ट करने के लिए, उत्तरवादी अधिकारियों को दो परीक्षणों में उत्तीर्ण होना चाहिए:

> i. एक साथ समूह में रखे गए लोगों और समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों के बीच एक सुग्राह्य अंतर होना चाहिए; और
>
> ii.अंतर और विधान के उद्देश्य के बीच एक संबंध था।

13. **अतुल शुक्ला (पूर्वोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 में इस विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: -

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमारे अवधारण के लिए जो मौलिक प्रश्न आता है, वह यह है कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु के उद्देश्यों के लिए भारतीय वायु सेना में समूह कप्तानों का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए उल्लंघनकारी है। इस न्यायालय के कई निर्णयों जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत समानता का अर्थ समझाया गया है और किसी दिए गए प्रकरण में वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, में तत्काल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन निर्णयों ने अब आधिकारिक रूप से यह तय कर दिया है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है न कि युक्तियुक्त वर्गीकरण को। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75) से शुरू होकर इस न्यायालय के हाल ही के डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सी. बी. आई. और अन्य (ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2140) के प्रकरणों में इस न्यायालय ने व्यापक रूप से जांच की है और विस्तार से व्याख्या की है कि एक वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के मापदंड को केवल तभी पूरा कर सकता है जब (i) समूह में शामिल लोगों और समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों के बीच एक सुग्राह्य अंतर हो; और (ii) अंतर और विधान के उद्देश्य के बीच एक संबंध विद्यमान हो। अनवर अली(पूर्वोक्त) के मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायाधिपति दास ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो अनुमेय है उसका सार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात, यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और अन्य लोगों में नहीं पाए जाते हो जो छूट गए हैं, लेकिन उन गुणों या विशेषताओं का विधान के उद्देश्य के साथ एक युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। कसौटी में खरा उतरने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) वर्गीकरण को एक सुग्राह्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन लोगों को पृथक करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत हैं और (2) उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

अंतर जो वर्गीकरण का आधार है और अधिनियम का उद्देश्य, दोनों अलग-अलग चीजें हैं और जो आवश्यक है वह यह है कि उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। "

14. प्रबंधन द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2013 (अनुलग्नक पी/1) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के माध्यम से लिए गए निर्णय के अवलोकन से, यह

स्पष्ट है कि प्रबंधन ने एन. सी. डब्ल्यू. ए. में दिए गए चैनल के विपरीत केवल 24 कर्मचारियों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। 24 उम्मीदवारों और याचिकाकर्ताओं के बीच, जिन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से एक विशेष समूह में नियुक्त किया गया था, कोई सुग्राह्य अंतर नहीं है। इसके अलावा, एन. सी. डब्ल्यू. ए. के नियमों और शर्तों की उपेक्षा करने या उन पर ध्यान नहीं देने का कोई कारण नहीं है। केवल उच्चतर अर्हता के आधार पर एक समूह की उपेक्षा करना और सीमित संख्या के समूह को लाभ देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सार का उल्लंघन होगा।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **सुधीर बुडाकोटी (पूर्वोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अत्यावश्यकताओं और विविध स्थितियों पर ध्यान देते हुए वर्गीकरण के लिए उचित आधार होता है, न्यायालय से व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत कठोर और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर पूर्ण समानता पर जोर देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उत्तरवादी अधिकारियों को यह पुष्टि करनी चाहिए थी किः -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. वर्गीकरण के लिए एक युक्तियुक्त आधार था;

ii. अत्यावश्यकताएँ थीं और परिस्थितियाँ विविध थीं।

iii.प्रबंधन, श्रमिकों और संघ के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध की उपेक्षा करने की आवश्यकता थी।

16. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय का अवलंब लिया गया है, वह सहायक नहीं है।

17. निर्णयों के एक समूह में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की सेवा के नियम और शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के रूप में

जाने जाने वाले "समझौते" द्वारा शासित हैं और अधिनियम, 1947 की धारा 18 के अधिनियम की उप-धारा 3 के संदर्भ में उक्त समझौता पक्षकारों पर बाध्यकारी है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इसे परिवर्तित, संशोधित या किसी अन्य समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

18. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी अधिकारी यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके कि निजी उत्तरवादीगण को पदोन्नति का लाभ देने के संबंध में अनुबंध की शर्तों में बदलाव, संशोधन या प्रतिस्थापन किया गया था।

19. उपर्युक्त तथ्यों और यथाविवेचित विधि को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं है। परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प दिनांक 15.02.2013 (अनुलग्नक पी/1) और पदोन्नति आदेश दिनांक 26.10.2013 एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है। परिणामों का अनुसरण किया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. फलतः, याचिकाएं **स्वीकार की जाती है**।

सही/-
(राकेश मोहन पांडे)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**